



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/03/09 (खण्ड VI)/9187
SPMCIL/VIG/03/09 (Vol VI/

दिनांक 30.09.2020
Date 30.09.2020

परिपत्र संख्या 10/20/Circular No. 10/20

विषय/Sub:- भारतीय एजेंट को सीधे ऑर्डर देकर पीएसी / नामांकन के आधार पर मशीनों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं की खरीद करने के संदर्भ में/Procuring various items, services related to machines on PAC/Nomination basis by directly placing order to Indian agent – reg.

यह पाया गया है कि भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की इकाइया कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच किए बिना मशीनों से संबंधित सेवाओं/विभिन्न पुर्जों/वस्तुओं की खरीद सीधे संबंधित मूल उपकरण निर्माता के भारतीय एजेंट से पीएसी/नामांकन के आधार पर कर रही है।

It has been observed that SPMCIL units are procuring various spares/items, services related to machines on PAC/Nomination basis by directly placing order to Indian agent of that particular OEM without bothering to examine some important aspects.

2. इस संदर्भ में, आपका ध्यान भंडारों/खरीद अनुबंधों और खरीद प्रणाली में देखी गई सामान्य अनियमितताओं/खामियों में सुधार के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा जारी प्रकाशित की दिशानिर्देशों की सूची पर आकर्षित किया जाता है जिसमें भारतीय एजेंटों पर विचार करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

2. In this regard, your kind attention is drawn to the list of common irregularities/lapses observed in stores/purchase contracts and guidelines for improvement in the procurement system published by CTEO, CVC wherein following important aspects are to be taken into account while considering Indian Agents:-

- i. विदेशी मूलधन मालिक का प्रोफार्मा जिसमें भारतीय एजेंट को देने वाली कमीशन का संकेत होता है, बिक्री के बाद भारतीय एजेंट द्वारा दी जाने वाली सेवा की प्रकृति प्रदान की जानकारी/ 'Foreign Principal's proforma invoice indicating the commission payable to the Indian Agent, nature of after sales service to be rendered by the Indian Agent'.

- ii. विदेशी मूलधन मालिक के साथ एजेंसी समझौते की प्रतिलिपि और उनके और व्यापार में पारस्परिक हित के बीच सटीक संबंध/ 'Copy of the agency agreement with the foreign principal and the precise relationship between them and their mutual interest in the business'.
- iii. वित्त मंत्रालय के अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशक के साथ भारतीय एजेंट की भर्ती/ 'The enlistment of the Indian Agent with Director General of Supplies & Disposals under the Compulsory Registration Scheme of Ministry of Finance'.

3. भारतीय एजेंट द्वारा उद्धृत कीमतों की वास्तविकता की जांच करने के लिए उपरोक्त पहलू महत्वपूर्ण हैं, सेवाओं की प्रकृति जो भारतीय एजेंट से उपलब्ध होगी और भारतीय एजेंट द्वारा कर कानूनों का अनुपालन और विदेशी मुद्रा के रिसाव को रोकने के लिए।

3. The above aspects are important one to examine the genuineness of the prices quoted by the Indian Agent, the nature of services which would be available from Indian Agent and compliance of Tax Laws by the Indian Agent and, to prevent leakage of foreign exchange.

4. इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि मशीनों से संबंधित सेवाओं/विभिन्न पुर्जों/वस्तुओं की पीएसी/नामांकन के आधार पर खरीद करते समय उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

4. In this regard, all concerned are hereby directed to follow the above guidelines while procuring various spares/items, services related to machines on PAC / Nomination basis. If these guidelines continues to be flouted in future, it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite vigilance angle.

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/03/09 (खण्ड VI)/११४७
SPMCIL/VIG/03/09 (Vol VI/

दिनांक 30.09.2020
Date 30.09.2020

-3-

5. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

5. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

6. This issues with the approval of Competent Authority.

सुनील तिवारी
30.9.20

(सुनील तिवारी)/(Sunil Tiwari)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
2. निदेशक (तकनीकी/मा.स./वित्त)/Director (Tech/HR/Fin).
3. महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/
GMs/AGMs/Joint GMs/DGMs (CHO).
4. मुख्य क्रय एवं भंडार अधिकारी (टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/निगम
मुख्यालय)/CPSOs (Mints/Presses/Paper Mill/CHO)
5. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
6. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.